समुचित सरकार– सह उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

(भू–अर्जन शाखा)

ज्ञापांकः–1031/भू0अ0 दिनांकः–28/09/2016

–:अधिसूचनाः–

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टासरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए झरिया अंचल अंतर्गत मौजा –टासरा, थाना संख्या–168, में रकबा 81.536 एकड़ रैयती भूमि का भू –अर्जन के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुरूप भू–अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित /प्रभावित परिवारों हेतू पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन योजना के अनुमोदन एंव कार्ययोजना के निर्धारण तथा भूमि से संलग्न भवन और स्थावर सम्पतियों के बाजार मूल्य अवधारण करने में विलम्ब होने के कारण अधिनियम के धारा 11(1) के अंतर्गत निर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या – 736 दिनांक 29–09–2015 से एक वर्ष में अर्थात दिनांक 28–09–2016 तक धारा– 19 के अंतर्गत अधिघोषणा की स्वीकृति संभव नही है।

अतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टासरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए झरिया अंचल अंतर्गत मौजा–टासरा, थाना संख्या–168, में रकबा 81.536 एकड़ रैयती भूमि का भू–अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा– 19में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम कें धारा 19(1)कें अंतर्गत अधिघोषणा हेतु दिनांक 29–09–2016 से 28–09–2017 तक एक वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

28/9/16

समुचित सरकार
–सह–
उपायुक्त, धनबाद